संख्याः वित्त–आई.एफ–(सी) 14–4/90
हिमाचल प्रदेश सरकार,
वित्त (संस्थागत) विभाग

प्रेषेकः

अतिरिक्त मुख्य सचिव (वित्त),
हिमाचल प्रदेश सरकार ।

प्रेषितः

समस्त प्रशासनिक सचिव,
हिमाचल प्रदेश सरकार,
शिमला–171002

दिनांकःशिमला–171002 \\ सितम्बर, 2020

विषयः– <u>राज्य सरकार द्वारा गारंटी दिए जाने सम्बन्धी दिशा–निर्देश–गारंटी फीस की अदायगी ।</u>

महोदय,

मुझे उपरोक्त विषय पर आपका ध्यान इस विभाग के समसंख्यक पत्र दिनांक 6.3.1992 की ओर आकर्षित करते हुए यह कहने का निदेश हुआ है कि हिमाचल प्रदेश वित्तीय नियम,2009 के नियम,166,167 व नियम 168 के अन्तर्गत शासकीय क्षेत्र के विभिन्न लोक उपकर्मों/स्वायत संस्थाओं के पक्ष में प्रशासनिक विभाग से प्राप्त प्रस्तावों के आधार पर ऋण सुविधा प्राप्त करने हेतु राज्य सरकार द्वारा गारंटी की स्वीकृति दी जाती है । इस विषय पर जारी दिशा–निर्देशों के अनुसार सम्बन्धित लोक उपकम/स्वायत संस्था द्वारा निर्धारित दर पर गारंटी फीस तथा कमिटमेंट चार्ज ऋण स्वीकृति पत्र जारी होने के तुरन्त बाद राज्यकोष में जमा करवाया जाना वांछित है परन्तु यह ध्यान में आया है कि गारन्टी स्वीकृति पत्र जारी होने के बाद गारंटी फीस व कमिटमेंट चार्ज की राशि राज्यकोष में जमा नही करवाई जा रही है । अतः आपसे अनुरोध है कि आप हर प्रस्ताव के गारंटी स्वीकृति पत्र जारी होने के बाद गारंटी फीस 1 प्रतिशत दर व कमिटमेंट चार्ज 0.2 प्रतिशत दर की राशि राज्यकोष में जमा करवाना सुनिश्चित करें तथा गारंटी स्वीकृति सम्बन्धित प्रत्येक प्रस्ताव को वित्त विभाग को भेजते समय गारन्टी फीस/कमिटमेंट चार्ज की पिछली अदायगियों की स्थितियों को स्पष्ट रूप से उल्लेख करना सुनिश्चित करें ।

भवदीय,

(राजेश शर्मा)
विशेष सचिव (वित्त)
हिमाचल प्रदेश सरकार
शिमला–171002

कृ.प.उ.

पृष्ठांकन संख्याः यथोपरि दिनांकःशिमला–2 || सितम्बर, 2020

प्रतिलिपिः

समस्त प्रबन्ध निदेशक शासकीय क्षेत्र के लोक उपकर्मों व मुख्य कार्यकारी अधिकारी, बोर्ड/स्वाय निकाय, हिमाचल प्रदेश को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है ।

(राजेश शर्मा)
विशेष सचिव (वित्त)
हिमाचल प्रदेश सरकार
शिमला–171002